उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-21/2026/482 के-2/22-3-2025-17(1415)/2023

लखनऊ: दिनांक: 20 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरनाथ (बन्दी संख्या-79/2023) पुत्र श्री स्वरूप सरोज, निवासी-ग्राम छदान, थाना-सुजानगंज, जनपद-जौनपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-357/2018 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 323/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश जौनपुर के आदेश दिनांक 08.07.2022 द्वारा आजीवन करावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 05.10.2023 तक भोगी गयी 01 वर्ष, 10 माह, 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष, 04 दिन की सपरिहार सजा, बंदी की आयु 81 वर्ष, 07 माह, 24 दिन व जेल आचरण अच्छा होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जौनपुर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in